रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102025-267111
CG-DL-E-24102025-267111

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 695]	नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947
No. 695]	NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2025

सा.का.नि. 779(अ).—केंद्रीय सरकार, विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ढ), (ण) और (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2013 में और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) संक्षिप्त नाम और प्रारंभ– इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधिक मापविज्ञान (सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र) नियम, 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के, नियम 3 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट बाटों और मापों का सत्यापन या तो सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र द्वारा या विधिक मापविज्ञान अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।"

3. मूल नियमों के नियम 5 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) इसमें विनिर्दिष्ट बाटों या मापों का सत्यापन करने के लिए इन नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग को आवेदन प्रस्तुत करेगा।"

(ii) उप-नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(3क) निदेशक, या इस संबंध में उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, और जहां एवं जैसे अपेक्षित हो, संबंधित राज्य सरकार के विधिक मापविज्ञान अधिकारी, परीक्षण केंद्र के अपने संचालन क्षेत्र के विनिर्देशन सहित, इसके अनुमोदन के लिए कोई सिफारिश करने से पहले परीक्षण केंद्र के परिसर का निरीक्षण करेंगे।"

(iii) उप-नियम (16) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(16) (क) उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत सभी क्षेत्रीय संदर्भ मानक प्रयोगशालाएं सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र मानी जाएंगी और इन नियमों के उपबंध ऐसी प्रयोगशालाओं पर इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र हों।

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसी प्रयोगशालाएं भारत के भीतर किसी भी स्थान पर विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन या अंतर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन की सिफारिशों के अनुसार विनिर्दिष्ट बाट और माप का सत्यापन करेंगी।"

(iv) उप-नियम (17) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(18) (क) उपभोक्ता मामले विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय परीक्षण शाला की प्रयोगशालाएं सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र मानी जाएंगी।

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट ऐसी प्रयोगशालाएं भारत के भीतर किसी भी स्थान पर विधिक मापविज्ञान (सामान्य) नियम, 2011 के अधीन या अंतर्राष्ट्रीय विधिक मापविज्ञान संगठन की सिफारिशों के अनुसार विनिर्दिष्ट बाट और माप का सत्यापन करेंगी।"

4. मूल नियमों के, नियम 7 में, उपनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(1) बाटों या मापों के सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षण केन्द्र को देय फीस पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा:

परंतु पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट न की गई मदों के लिए, राज्य के विधिक मापविज्ञान (प्रवर्तन) नियम लागू होंगे, जहां सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केंद्र उपकरण का सत्यापन कर रहा है।

5. मूल नियमों में, नियम 8 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(4) परीक्षण केंद्र प्रत्येक बाट या माप के लिए सत्यापन का पृथक प्रमाणपत्र जारी करेगा, ताकि प्रमाणपत्र प्रत्येक उपकरण के अनुरूप हो।"

6. मूल नियमों में नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“10. सत्यापन का स्थान.- परीक्षण केन्द्र अपने प्राधिकृत परिसर के भीतर या जिले की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर बाट या माप का सत्यापन करेगा और ऐसा सत्यापन राज्य के किसी भी भाग तक विस्तारित कर सकेगा जिसमें सरकार द्वारा अनुमोदित परीक्षण केन्द्र संचालित होता है।"

7. मूल नियमों में नियम 18 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

"18. सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र में आवेदन के लिए फीस - (1) इन नियमों के अधीन सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र के रूप में अनुमोदन की माँग करने वाले आवेदक को प्रति बाट या माप दो लाख रुपये की फीस जमा करना होगा।

(2) फीस या तो डिमांड ड्राफ्ट द्वारा या ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से जमा की जाएगी, जैसा कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) प्रत्येक उपकरण के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए मान्यता के नवीकरण के समय समान फीस देय होगी।"

8. मूल नियमों में "प्रथम अनुसूची" के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्रथम अनुसूची

[नियम 3 का उप-नियम (1) देखें]

सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापित बाट और माप

निम्नलिखित बाट और माप सरकारी अनुमोदित परीक्षण केंद्र द्वारा सत्यापित किए जाएँगे:

1. जल मीटर
2. स्फिग्मोमैनोमीटर
3. क्लिनिकल थर्मामीटर
4. स्वचालित रेल वेब्रिज
5. टेप मापक यंत्र
6. सटीकता वर्ग III (150 किग्रा तक) के गैर-स्वचालित तौल यंत्र
7. सटीकता वर्ग IIII के गैर-स्वचालित तौल यंत्र
8. लोड सेल
9. बीम स्केल
10. काउंटर मशीन
11. सभी श्रेणियों के बाट
12. गैस मीटर
13. ऊर्जा मीटर
14. नमी मीटर
15. वाहनों के लिए गति मीटर
16. श्वास विश्लेषक
17. बहुआयामी मापक यंत्र
18. प्रवाह मीटर

9. मूल नियमों में "द्वितीय अनुसूची" के लिए टिप्पण में "10,000/- रुपए" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्रति वर्ष एक उपकरण के लिए दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

10. मूल नियमों में, चौथी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

"पाँचवीं अनुसूची

[नियम 7 का उप-नियम (1) देखें]

सत्यापन या पुनः सत्यापन के लिए परीक्षा केंद्र को देय फीस

क्रम सं.	मद	सत्यापन शुल्क (रु./₹ में)
1	जल मीटर	(i) घरेलू जल मीटर के लिए 250.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक जल मीटर के लिए 1000.00 रुपये (iii) औद्योगिक जल मीटर के लिए 2500.00 रुपये
2	स्फिगोमैनोमीटर	100.00 रुपये प्रति स्फिग्मोमैनोमीटर
3	क्लिनिकल थर्मामीटर	50.00 रुपये प्रति क्लिनिकल थर्मामीटर
4	ऑटोमैटिक रेल वेब्रिज	राज्य सरकार के फीस के अनुसार
5	टेप मेज़र	(i) क्लास I: 2.00 रुपये प्रति मीटर या उसका भाग (ii) क्लास II: 1.00 रुपये प्रति मीटर या उसका भाग (iii) क्लास III: 0.50 रुपये प्रति मीटर या उसका भाग
6	सटीकता वर्ग III (150 किग्रा तक) के गैर-स्वचालित तौल उपकरण	(i) 10 किलोग्राम तक 2000.00 रुपये (ii) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक 3000.00 रुपये
7	सटीकता वर्ग IIII के गैर-स्वचालित तौल उपकरण	(i) 10 किलोग्राम तक 2000.00 रुपये (ii) 10 किलोग्राम से अधिक और 150 किलोग्राम तक 3000.00 रुपये
8	लोड सेल	(i) 5 केएन तक 2000.00 रुपये (ii) 5 केएन से ऊपर और 100 केएन तक 5,000.00 रुपये
9	बीम स्केल	(i) 5 किलोग्राम तक 500.00 रुपये (ii) 5 किलोग्राम से ऊपर 1000.00 रुपये
10	काउंटर मशीन	(i) 5 किलोग्राम तक 500.00 रुपये (ii) 5 किलोग्राम से ऊपर 1000.00 रुपये
11	सभी श्रेणियों के बाट	(i) ई$_1$ वर्ग के लिए फीस: (अ) 1 मि.ग्रा. से 200 ग्राम (राइडर सहित 22 टुकड़े): 15,000 रुपये (आ) मिश्रित बाट (प्रति बाट): (क) 10 किलोग्राम तक 1,000 रुपये (ख) 10 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक 2,000 रुपये (ii) ई$_2$ श्रेणी के बाट के लिए फीस ई$_1$ श्रेणी के बाट के लिए विनिर्दिष्ट फीस का आधा होगा

		(iii) एफ$_1$ श्रेणी के बाट के लिए फीस ई$_1$ श्रेणी के बाट के लिए विनिर्दिष्ट फीस का एक चौथाई होगा (iv) एफ$_2$ श्रेणी के बाट के लिए फीस ई$_1$ श्रेणी के बाट के लिए विनिर्दिष्ट फीस का आठवां हिस्सा होगा (v) बुलियन बाट: (क) 1 ग्राम से 500 ग्राम: 25 रुपये प्रति बाट (ख) 500 ग्राम से 10 किग्रा तक: 50 रुपये प्रति बाट (vi) कैरेट बाट: 50 रुपये प्रति बाट (vii)बेलनाकार घुंडी प्रकार का बाट: (क) 1 ग्राम से 500 ग्राम: 10 रुपये प्रति बाट (ख) 500 ग्राम से 10 किग्रा तक: 25 रुपये प्रति बाट (viii) शीट धातु बाट (बुलियन के अतिरिक्त): 1 मिग्रा से 500 मिग्रा: 25 रुपये प्रति बाट (ix)लोहे के षट्कोणीय, घुंडी प्रकार के बाट और समानांतर षट्फलक बाट: (क) 1 ग्राम से 500 ग्राम: 10 रुपये प्रति बाट (ख) 500 ग्राम से 10 किलोग्राम तक: 25 रुपये प्रति बाट (ग) 10 किलोग्राम से 50 किलोग्राम तक: 50 रुपये प्रति बाट (x) उच्च मूल्यवर्ग भार: (क) 50 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक: 1000 रुपये (ख) 1000 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम तक: 1500 रुपये
12	गैस मीटर	(i) घरेलू: 500.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक: 2000.00 रुपये (iii) औद्योगिक 5000.00 रुपये
13	ऊर्जा मीटर	(i) घरेलू: 1000.00 रुपये (ii) वाणिज्यिक: 3000.00 रुपये (iii) औद्योगिक 5000.00 रुपये
14	नमी मीटर	2500 रुपये
15	वाहनों के लिए गति मीटर	15,000 रुपये
16	श्वास विश्लेषक	2500 रुपये
17	बहुआयामी माप उपकरण	3600 रुपये
18	फ्लो मीटर	(i) 100 मिमी तक: 5000.00 रुपये (ii) 100 मिमी से अधिक: प्रत्येक 25 मिमी के लिए 5000.00 रुपये + 1000.00 रुपये

[फा. सं. आई-30/1/2025-डब्ल्यूएंडएम]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम तारीख 5 सितंबर, 2013 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 593(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 1 फरवरी, 2021 को सा.का.नि. संख्यांक 95(अ) द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd October, 2025

G.S.R. 779(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (n), (o) and (p) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013, namely:-

1. (1) Short title and commencement.- These rules may be called the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Amendment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 (hereinafter referred to the principal rules), in rule 3, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The weights and measures specified in the First Schedule shall either be verified by a Government Approved Test Centre or by the legal metrology officers.".

3. In the principal rules, in rule 5,-

(i) for sub rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Any person desirous of obtaining recognition under these rules for carrying out verification of weights or measures specified herein shall submit an application to the Joint Secretary, Department of Consumer Affairs in the form specified in the Second Schedule.";

(ii) after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(3A) The Director or officers authorised by him in this behalf and as and when required, legal metrology officers of the concerned State Government, shall, inspect the premises of the test centre prior to making any recommendation for its approval, including the specification of its area of operation." ;

(iii) for sub-rule (16), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(16) (a) All the Regional Reference Standard Laboratories functioning under the administrative control of the Department of Consumer Affairs shall be deemed to be Government Approved Test Centres and the provisions of these rules shall apply to such laboratories, as if they were Government Approved Test Centre.

(b) Such laboratories specified in clause (a) verify the weights and measures specified under the Legal Metrology (General) Rules, 2011 or as per the recommendations of the International Organization of Legal Metrology, at any location within India.";

(iv) after sub-rule (17), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(18) (a) The laboratories of National Test House functioning under the administrative control of the Department of Consumer Affairs shall be deemed to be Government Approved Test Centres.

(b) Such laboratories specified in clause (a) verify the weights and measures specified under the Legal Metrology (General) Rules, 2011 or as per the recommendations of the International Organization of Legal Metrology, at any location within India.";

4. n the principal rules, in rule 7, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) The fee payable to test centre for verification or re-verification of weights or measures shall be as specified in the Fifth Schedule:

Provided that for the items not specified in the Fifth Schedule, the Legal Metrology (Enforcement) Rules of a State shall apply where Government Approved Test Centre is verifying the instrument.".

5. In the principal rules, in rule 8, after sub-rule (3), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(4) The test centre shall issue separate certificate of verification for each weight or measure, such that the certificate conforms to individual instrument.".

6. In the principal rules, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:-

"10. Place of verification.- The test centre shall undertake verification of weight or measure either in its authorised premises or within the territorial limits of the district, and may extend such verification to any part of the State in which the Government Approved Test Centre operates.".

7. In the principal rules, for rule 18, the following rule shall be substituted, namely:-

"18. Fee for application to Government Approved Test Centre.- (1) A fee of rupees two lakh per weight or measure shall be deposited by the applicant seeking approval for Government Approved Test Centre.

(2) The fee shall be deposited either by demand draft or online payment mode or as specified by the Government.

(3) The same amount of fee shall be payable at the time of renewal of recognition for a period of one year in respect of each equipment.".

8. In the principal rules, for the First Schedule, the following schedule shall be substituted, namely:-

"First Schedule

[*See* sub-rule (1) of rule 3]

Weights and measures verified by Government Approved Test Centre

The following weights and measures shall be verified by Government Approved Test Centre:

1. Water meter
2. Sphygmomanometer
3. Clinical thermometer
4. Automatic rail weighbridges
5. Tape measures
6. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150kg)
7. Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class IIII
8. Load cell
9. Beam scale
10. Counter machine
11. Weights of all category
12. Gas meters
13. Energy meters
14. Moisture meters
15. Speed meters for vehicles
16. Breath analyzers
17. Multi-dimensional measuring instruments
18. Flow meters".

9. In the principal rules, in the Second Schedule, in the NOTE, for the letters and numbers "Rs. 10,000/-" the letters and words "Rs. two lakh for one equipment per year" shall be substituted.

10. In the principal rules, after the Fourth Schedule, the following schedule shall be inserted, namely:-

"Fifth Schedule

[*See* sub-rule (1) of rule 7]

Fee payable to Test Centre for verification or re-verification

Sl. No.	Item	Verification fees (in Rs./ ₹)
1.	Water meter	(i) Rs. 250.00 for domestic water meter (ii) Rs. 1000.00 for commercial water meters (iii) Rs. 2500.00 for industrial water meters
2.	Sphygmomanometer	Rs. 100.00 per sphygmomanometer
3.	Clinical thermometer	Rs. 50.00 per clinical thermometer
4.	Automatic rail weighbridges	As per State Government fees
5.	Tape measures	(i) Class I: Rs. 2.00 per meter or part thereof (ii) Class II: Rs. 1.00 per meter or part thereof

		(iii) Class III: Rs. 0.50 per meter or part thereof
6.	Non-automatic weighing instruments of Accuracy Class III (upto 150kg)	(i) Rs. 2000.00 upto 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg
7.	Non-automatic weighing instruments of Accuracy class IIII	(i) Rs. 2000.00 upto 10 kg (ii) Rs. 3000.00 above 10 kg and upto 150 kg
8.	Load cell	(i) Rs. 2000.00 upto 5 kN (ii) Rs. 5,000.00 above 5 kN and upto 100kN
9.	Beam scale	(i) Rs. 500.00 upto 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
10.	Counter machine	(i) Rs. 500.00 upto 5 kg (ii) Rs. 1000.00 above 5 kg
11.	Weights of all category	(i) Fees for E_1 Class: (A) 1mg to 200g (22 pieces including rider): Rs. 15,000 (B) Assorted weights (per weight): (a) Rs. 1,000 upto 10 kg (b) Rs. 2,000 above 10 kg upto 50 kg (ii) Fees for E_2 class weights will be one half the fees specified for E_1 class weights (iii) Fees for F_1 class weights will be one fourth the fees specified for E_1 class weights (iv) Fees for F_2 class weights will be one eighth the fees specified for E_1 class weights (v) Bullion weights: (A) 1g to 500 g: Rs. 25 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 50 per weight (vi) Carat weights: Rs. 50 per weight (vii) Cylindrical knob type weight: (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 25 per weight (viii) Sheet metal Weight (other than Bullion): 1mg to 500 mg: Rs. 25 per weight (ix) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped weight: (A) 1g to 500 g: Rs. 10 per weight (B) Above 500g to 10kg: Rs. 25 per weight (C) Above 10kg to 50kg: Rs. 50 per weight (x) Higher denomination weights: (A) Above 50 kg to 1000 kg: Rs. 1000 (B) Above 1000 kg to 5000 kg: Rs. 1500
12.	Gas meters	(i) Domestic: Rs. 500.00 (ii) Commercial: Rs. 2000.00 (iii) Industrial Rs. 5000.00

13.	Energy meters	(i) Domestic: Rs. 1000.00 (ii) Commercial: Rs. 3000.00 (iii) Industrial Rs. 5000.00
14.	Moisture meters	Rs. 2500
15.	Speed meters for vehicles	Rs. 15,000
16.	Breath analysers	Rs. 2500
17.	Multi-dimensional measuring instruments	Rs. 3600
18.	Flow meters	(i) Upto 100 mm: Rs. 5000.00 (ii) Above 100 mm: Rs. 5000.00+ Rs. 1000.00 for every 25 mm".

[F. No. I-30/1/2025-W&M]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 593(E), dated the 5th September, 2013 and was last amended *vide* number G.S.R. 95(E), dated 1st February, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2025.10.24 21:21:03 +05'30'